फर्द अहकाम

उदयपुर

कल्याणमार्ग — विपक्षी — कैलाश

बनाम — दीवानी — पत्रावली संख्या 22/14 — सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
2.11.15 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Sec 10 स्वीकार किया जाकर, प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर स्थगित रखे जाकर सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के निर्णय के अनुसार ही प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही संचालित की जावेगी। जिस बाबत प्रकरण सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर पेश हो। विस्तृत निर्णय दिनांक से लिखा जाकर रखा किया गया।	जिला कलक्टर उदयपुर
11.04.22 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता श्री दिनेश जादा द्वारा प्रा. पत्र, वकालत पत्र एवं न्यायालय अपर न्यायाधीश सं.-3 उदयपुर लोक अदालत में हुए निर्णय दिनांक 11.02.17 की प्रति पेश की गई। निर्णय में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया होना अंकित पर वादीगण द्वारा अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहा। वादीगण का वाद राजीनामा होने के आधार पर खारीज किया है। उक्त निर्णय के आधार पर प्रस्तुत न्यायालय की पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील अनिवार्य रूप से खारीज होने योग्य है। पक्षकारों को कानूनी अनुसार होकर वाद से मुक्त हो दाखिल दफ्तर हो।	जिला कलक्टर उदयपुर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Ch Meena
Date: 2022.11.01 11:53:57
Reason: SelfAttested